



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

कार्यालय:-7वां एवं 8वां तल इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद



पत्रांक- 13 /स0अप0स0/वि0प्रा0/2017

दिनांक-28/9/2017

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नांकित कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश की ई-प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट-[http:// etender.up.nic.in](http://etender.up.nic.in) से प्राप्त एवं देखे जा सकते हैं। निविदा के साथ मांग की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0(राष्ट्रीय बचत पत्र) के रूप में जो अधिशाषी अभियन्ता इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद के नाम बन्धक हो, स्कैन कापी अपलोड करना अनिवार्य है। बिना जमानत धनराशि के निविदा अवैध मानी जायेगी। निविदा प्रकाशन की तिथि से दो दिन बाद निविदा मूल्य यूकों बैंक मुख्य शाखा सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद खाता सं0-00320204000449 एवं सिंडीकेट बैंक मुख्य शाखा चन्द्रशेखर आजाद मार्केट, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद खाता सं0-86131130000011 में मूल्य जमाकर रसीद की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना अथवा ऑनलाइन फीस जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत या विभाजन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा। निविदा खोले जाने की तिथि को यदि अवकाश होगा तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। निविदा विवरण निर्धारित प्रारूप में उल्लिखित कार्य का विवरण, उनकी आगणन लागत, निविदा की जमानत धनराशि, निविदा विवरण निर्धारित प्रारूप में उल्लिखित कार्य का विवरण, उनकी आगणन लागत, निविदा की जमानत धनराशि, निविदा मूल्य निर्धारित श्रेणी तथा समय अवधि आदि का विवरण उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

शर्तें: 1-निविदा शुल्क की रसीद एवं जमानत धनराशि की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं निविदा स्वीकृत होने की स्थिति होने में कार्यादेश (work order) निर्गमन से पूर्व जमानत धनराशि की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करते हुये उन्हें ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही तथा बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0 को नियमानुसार जब्त करने अथवा कटौती करने की कार्यवाही किया जाना तथा अभिलेख कूटरेचित पाये जाने की दशा में एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। 2-निविदा शर्तों के विरुद्ध निविदा डालने वाले ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त करते हुये काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा। 3-इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की रसीद अथवा ऑनलाइन फीस जमा करने की साक्ष्य की प्रति निविदा के साथ स्कैन कापी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

क0 सं0	कार्य का नाम	निविदा धनांक (रु0 लाख में)	जमानत धनराशि (रु0 लाख में)	कार्य अवधि	ई-प्रोक्योरमेंट साल्यूशन में ई-निविदा जारी करने का दिनांक	ई-प्रोक्योरमेंट साल्यूशन में ई-निविदा प्राप्त तथा वेबसाइट पर अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय	ई-प्रोक्योरमेंट साल्यूशन में ई-निविदा की प्राइस बिड खोलने की तिथि तथा समय	निविदा मूल्य	निर्धारित श्रेणी
1	शान्तीपुरम् आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न सेक्टरों में वाटर लीकेज की वार्षिक अनुरक्षणीय कार्य।	3.55	0.36	12 माह	04.10.2017	11.10.2017 अपरान्ह 2.00 बजे तक	11.10.2017 अपरान्ह 4.00 बजे तक	300/- GST as Applicable	श्रेणी-ई

नोट-

1. निविदा शर्तों के विरुद्ध निविदा डालने वाली फर्मों की जमानत धनराशि जब्त करते हुये काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
2. अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी अधिशाषी अभियन्ता(श्री मखीजा) कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में ली जा सकती है।
3. अन्य नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

सचिव/अपर सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

नोट:-

1. उक्त निविदा हेतु जमानत की धनराशि अधिशाषी अभियन्ता, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक एन0एस0सी0(राष्ट्रीय बचत पत्र)/एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करना होगा, जो निविदा तिथि से 03 माह तक के लिये वैध हो। यदि किसी ऑफर के साथ समुचित जमानत धनराशि जमा न होने पर ऐसे ऑफर खोलते ही

पुनः सील कर दिया जायेगा। यदि किसी निविदा के साथ समुचित जमानत धनराशि जमा न होने पर ऐसा निविदायें खोलते ही पुनः सील कर दी जायेंगी।

2. निविदा मूल्य नकद/बैंक ड्राफ्ट के साथ सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगी, जो वापस नहीं होगा।
3. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत या विभाजन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
4. निविदा में दी गयी दरें तीन माह तक मान्य होगी।
5. शेष समस्त कटौतियाँ लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार की जायेगी।
6. निविदा की दरों में कटिंग/ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
7. निविदा हेतु सामान्य प्रकृति के कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. कार्यालय अवकाश की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस में डाली/खोली जायेगी।